मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आलीसर)

पीठासीन अधिकारी :–अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. गोपाललाल पुत्र लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामकरण पुत्र हनुमान
3. काना पुत्र सुरजा

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– **129 / 2016**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाकर वाके ग्राम दम्बा का बास, पटवार हल्का आलीसर, तहसील चौमूं के खाता संख्या 8 के ख0न0 144, 145, 146, 147 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर में वादी का नाम कालू पुत्र लक्ष्मण अहीर के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मण अहीर दुरूस्त करने की घोषणा की जाती हैं। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चौमूं को डिक्री की प्रति पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प आलीसर मे आज तारीख 01.06.2017 को जारी किया गया।

मोहर

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	0	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	0	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :-

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें, दिनांक :-

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत

गोपाललाल पुत्र लक्ष्मण, जाति अहीर, निवासी ग्राम कालीपुरा तह० चौमू वादी

बनाम

राजस्थान सरकार वगै०

प्रतिवादी

प्रकरण संख्या :- 129/16 अन्तर्गत धारा 88
महोदय,
उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी .... का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है। एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है । हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके है।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है कि:-वाके ग्राम दम्बा का बास में वादी गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मण का राजस्व रिकॉर्ड मे कालू पुत्र लक्ष्मण के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र लक्ष्मण दुरुस्त कर बाद को रिकॉर्ड करवाया जावे। इससे दोनो पक्षकार सहमत है।

अतः श्रीमानजी सें निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे ।

वादी पक्ष
गोपाललाल यादव

प्रतिवादी पक्ष
कानाराम यादव

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature] 1/6/17 सरपंच ग्राम पंचायत आलीसर पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)

(वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature] 1/6/17 सरपंच ग्राम पंचायत आलीसर पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)

(प्रतिवादी पक्ष) नाम

उपस्थित **वादी तथा प्रतिवादी** द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीना में की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्ब ख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

[signature] 1/6/17 सरपंच ग्राम पंचायत आलीसर पं. स. गोविन्दगढ़ (जयपुर)
(ह0 सदस्य)

[signature] तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं (जयपुर)
(ह0 सदस्य)

[signature] 1-6-17 पटवारी
(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

[signature]
लोक अदालत सदस्य
न्याय आपके द्वार

[signature]
(अशोक कुमार योगी)
पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner